



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओडिशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबसाइट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक 2-1-1/704/संबद्धता/2021/1134

रायगढ़, दिनांक 01.10.2021

// आदेश //

छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3-55/2017/38-1 दिनांक 22.11.2017 एवं विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र. 2-1-1/संबद्धता निरीक्षण/704/2021/1026 रायगढ़ दिनांक 23.09.2021 द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा की अनुमति के आधार पर शासकीय संत गहिरा गुरु रामेश्वर महाविद्यालय, लैलूंगा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से निम्नानुसार विषय/पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है :-

क्र.	विषय/पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01	बी.ए. द्वितीय वर्ष (इतिहास)	30-सीट
02	बी.ए. तृतीय वर्ष (इतिहास)	30-सीट

निर्धारित शर्तें :-

- छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनुमति पत्र में निर्धारित शर्तों का पालन किया जावे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को सम्बद्धता) विनियम-2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तों का पालन किया जावे।
- उपरोक्तानुसार पाठ्यक्रम अनुरूप अद्यतन पुस्तकें/उपकरण क्रय किया जावे।

महाविद्यालय को उल्लेखित शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 30.10.2021 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में यह अस्थायी सम्बद्धता आंगामी सत्र से स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चन्द्राकर)
कुलसचिव

पृ. क्रमांक 2-1-1/704/संबद्धता/2021/1134

रायगढ़, दिनांक 01.10.2021

प्रतिलिपि:-

- कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
- अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, शासकीय संत गहिरा गुरु रामेश्वर महाविद्यालय, लैलूंगा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Received
Omendu

प्रभारी अधिकारी (अका.)
01/10/21